

पेंशन अदालत अधिसूचना

रेलवे बोर्ड का पत्र सं. E(W)/2022/PA/4 दिनांक 30.04.2022 के परिप्रेक्ष्य में डीडीयू मंडल द्वारा पेंशन परिवारों के निष्पादन के लिए दिनांक 05.05.2022 (गुरुवार) को ऑनलाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत का आयोजन किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

ऑनलाईन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा आयोजित पेंशन अदालत में शामिल होने के लिए सेवानिवृत्त कर्मचारी/मृत कर्मचारी के आश्रित अपने पेंशन से संबंधित परिवार का पूरा विवरण निम्न प्रारूप में भरकर मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक) पूर्व मध्य रेल/डीडीयू को दिनांक 04.05.2022 तक personnelecrddu@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं:

1. आवेदक का नाम-
2. भू0पू0 कर्मचारी का नाम-
3. पदनाम एवं अंतिम कार्यस्थल -
4. भू0पू0 कर्मचारी के साथ आवेदक/आवेदिका का संबंध -
5. वर्तमान पता-
6. सेवानिवृत्ति की तिथि-
7. सेवानिवृत्ति के प्रकार सामान्य/स्वैच्छिक/अनिवार्य-
8. भू0पू0 कर्मचारी की मृत्युतिथि-
9. प्राप्त किया गया अंतिम वेतन एवं वेतनमान-
10. सेवानिवृत्ति के समय नियंत्रण अधिकारी-
11. पेंशन भुगतान आदेश सं. (P.P.O. No. की स्पष्ट प्रति संलग्न करें) -
12. बैंक का अद्यतन खाता की स्पष्ट छाया प्रति जिसमें IFS कोड एवं खाता सं. अंकित हो-
13. शिकायतों का विवरण-
14. मोबाईल नं0 -

पेंशन संबंधी परिवार उपरोक्त प्रारूप में भर कर दिनांक 04.05.2022 तक personnelecrddu@gmail.com पर प्रेषित कर सकते हैं अथवा दिनांक 05.05.2022 को अपराह्न 15.00 बजे से शाम 18.00 बजे तक सीधे विडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा इस **Video Web link: <https://us02web.zoom.us/j/81926985418?pwd=eCfla0U2akVJYXhON3BXMUFHS0xyUT09>**, **Zoom Meeting ID- 81926985418, Passcode-933270** से जुड़ सकते हैं तथा पेंशन संबंधित परिवार दर्ज करा सकते हैं।

वैसी शिकायतें जो पेंशन से जुड़ी नहीं हैं जैसे अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्रार्थना, आश्रितों के नियोजन, कालबद्ध वेतन/भत्तों का भुगतान या वेतन में बढ़ोतरी इत्यादि का पेंशन अदालत के अन्तर्गत विचारणीय नहीं होंगी।

नोट-जिन रेल कर्मचारियों की पेंशन संराशीकरण(कम्प्यूटेशन) की तिथि से सेवानिवृत्ति की 15 वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है या पूरी होने पर पेंशन के भुगतान हेतु कृपया पेंशन वितरक बैंक/डाकघर के पदाधिकारी से सीधे सम्पर्क करें।

(मनोज पासवान)

सहायक कार्मिक अधिकारी
कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल, डीडीयू

प्रतिलिपि: कृपया सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुकाधि के सचिव/पूमरे-कृपया प्रमुकाधि महोदय को सादर सूचनार्थ।
2. मुकार्याधी/सा0/डीडीयू - कृपया मरेप्र महोदय को सादर सूचनार्थ।
3. निस/अमरेप्र/डीडीयू-कृपया अमरेप्र-1 एवं 02 महोदय को सूचनार्थ।
4. वमविप्र/डीडीयू
5. कार्याधी/एमपीपी/डीडीयू-कृपया इसे वेबसाईट पर अपलोड करें।
6. समी सी/एसडब्ल्यूआई/डीडीयू- यूनिट संभाग में जानकारी उपलब्ध करायेंगे एवं अपने अपने बीट से संबंधित मामले में सम्पर्क कर मामले का निष्पादन में सहयोग प्रदान करेंगे।
7. पीएनएम प्रभारी-ईसीआरकेयू, मंडल सचिव/अजा/अजजा एवं पेंशनर एशो0/डीडीयू मंडल।
8. सूचना पट्ट।

कृते मंडल रेल प्रबंधक/कार्मिक
पूर्व मध्य रेल, डीडीयू